

| क्र० सं० | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | दिनांक |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01 | 02 | 03 |
| | <p style="text-align: center;">न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा</p> <p style="text-align: center;">उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं०-98/2021 राज्य बनाम भोला शर्मा एवं अन्य</p> <p style="text-align: center;">--आदेश--</p> <p>पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-932/म.नि., दिनांक-21.07.2021 के द्वारा चौसा (फुलौत) थाना कांड सं०-65/2021, दिनांक-13.07.2021, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में जक्त बिना नम्बर का हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं०-98/2021 राज्य बनाम भोला शर्मा एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा रखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 की उप धारा-2 (15) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-21.08.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जक्त हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) को 10 लीटर देशी महुआ शराब के साथ बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जक्त हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।</p> <p>प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी०बी० नं०-37/ब्या०, दिनांक-06.09.2021 के द्वारा प्रतिवादी श्री भोला शर्मा, पिता जगदीश शर्मा, सा०-अजगैवा वार्ड नं०-03, थाना-चौसा (फुलौत ओ०पी०), जिला-मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस को अंकित पते पर निर्बंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया, जिसका निर्बंधन सं०-RF621329941IN है। डाक विभाग के वेब साईट पर जाँच करने पर पाया गया कि प्रतिवादी को दिनांक-09.09.2021 को नोटिस प्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त के उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक-16.09.2021, 23.09.2021 को तिथि निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को केवल सरकारी पक्षकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-30.09.2021 को विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता ने प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण वाद के निष्पादन में हो रहे विलंब के कारण एकपक्षीय सुनवाई कर वाद को निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तदोपरान्त विधिवत नोटिस तामिला मानते हुए दिनांक- 07.10.2021 को एकपक्षीय सुनवाई की गई। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष विस्तार से सुना गया। रखे गये पक्ष इस प्रकार हैं:-</p> <p>विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि जक्त हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) के लिए दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएँ अपना ली गई है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत के बाद भी कोई दावेदार अपना दावा पेश नहीं किए है। हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक को विधिवत नोटिस तामिला कराया जा चुका है। नोटिस मामिला प्राप्त उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित की गई, किसी भी तिथियों में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक अपने बचाव में पक्ष रखना नहीं चाहते है। एकपक्षीय सुनवाई कर वाद निष्पादन किया जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा प्रतिवादी का नोटिस तामिला दर्शाया गया है। एदत् संबंधी प्रतिवेदन के उपरान्त जक्त हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीटा हुआ) के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक को नियमत-नोटिस मामिला माना जा सकता है। जक्त मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि अपने ऊपर लगे आरोप के वे मूक रूप से स्वीकार कर रहे है, जिस कारण अपना पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर रखना नहीं चाहते है। दूसरी तरफ जक्त मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक की अनुपस्थिति इस ओर ईशारा करता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के लिए समक्ष नहीं है। थाना में दर्ज प्राथमिकी से जाहिर होता है कि फुलौत ओ०पी० पदस्थापित पु०स०अ०नि० श्री कृष्ण कुमार मंडल सशस्त्र बल के साथ विषहरी स्थान के पास दिवा गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी क्रम में एक मोटर साईकिल सवार मोटर साईकिल के लेगगार्ड पर एक प्लास्टिक झोला बाँधा हुआ आया। जिसे उक्त मोटर साईकिल सवार को पुलिस बल के सहयोग से रोगा लिया गया। इस कार्रवाई को देख आस-पास के लोग जमा हो गई। जमा भीड़ में से ही दो को स्वतंत्र गवाह बनाकर मोटर साईकिल के लेगगार्ड पर बाँधा हुआ प्लास्टिक झोला को चेक करने पर दो 05-05 लीटर का पीला रंग का प्लास्टिक गैलन जिसमें देशी महुआ शराब भरा हुआ कुल 10 लीटर पाया गया। धटना स्थल पर विधिवत जक्की सूरी तैयार कर उस पर पकड़े के अभियुक्त एवं स्वतंत्र साक्षी से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। चूंकि धटना स्थल पर गिरफ्तार अभियुक्त एवं जक्त मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया, परन्तु किसी भी तिथियों में पक्ष रखने हेतु वे उपस्थित नहीं हुए है। नोटिस प्राप्त के उपरान्त उन्हें काफी समय दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे अपना मोटर साईकिल विमुक्त करने के इच्छुक नहीं है या आरोप को निराधार साबित करने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें कोई आपत्ति रहती, तो</p> | |



निश्चित तौर पर अपना आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराते एवं जद्व मोटर साईकिल के विमुक्ति का अनुरोध करते। चूंकि जद्व मोटर साईकिल से देशी महुआ शराब द्रोए जाने के क्रम में पकड़ा गया है, जिस कारण उक्त हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीठ हुआ) शराब द्रोने के उपयोग में लाये जाने के कारण धारा 56(ध) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है एवं उसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का गहन विचारण किया गया। बिहार महानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (ध) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होगी यथा:- किसी मादक द्रव्य या शराब द्रोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जद्व हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीठ हुआ) का उपयोग अर्ध देशी महुआ शराब के द्रोने के लिए किया जा रहा था, जिसे घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जद्व किया गया है।

अतः बिहार महानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार महानिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जद्व हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल (जिसका इंजन नं० एवं चेचिस नं० घसीठ हुआ) को अधिग्रहित करते हुए बिहार महानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, महानिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जद्व मोटर साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करावेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बाली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। मोटर साईकिल मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः मोटर साईकिल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा उक्त मोटर साईकिल उच्चतम बोली लगाने वालों को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाएगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त मोटर साईकिल विमुक्ति की सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देंगे। मोटर साईकिल निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाएगी।

उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, महानिषेध, मधेपुरा/यानाध्यक्ष, चौसा (फुलौत ओ०पी०) एवं मोटर साईकिल मालिक/प्रतिवादी को भी दें तथा एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

80/-

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

80/-

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

डी०बी० नं०-36/ब्या०, दिनांक-18-10-2021

प्रतिनिधि: प्रतिवादी श्री भोला शर्मा, पिता जगदीश शर्मा, सा०-अजगैवा वार्ड नं०-03, याना-चौसा (फुलौत ओ०पी०), जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिनिधि: यानाध्यक्ष, चौसा (फुलौत ओ०पी०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि: अधीक्षक, महानिषेध, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि: पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि: जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

16/10/21